रजिस्ट्री सं॰ डी॰ (डी॰एन॰)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 84] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 1983/फाल्गुन 23, 1904

No. 84] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 1983/PHALGUNA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1983

सा॰ का॰नि॰ 262(अ).—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के प्रत्येक एक हजार रुपये के अंकित मूल्य के दस लाख शेयरों में विभक्त एक सौ करोड़ रुपये के कुल प्राधिकृत शेयर पूंजी में से 6.275 करोड़ रुपये के प्रत्येक एक हजार रुपये के अंकित मूल्य के बासठ हजार सात सौ पचास शेयरों को, उनके ग्यारहवें निर्गम के रूप में जारी किए जाने की मंजूरी देता है।

[फा॰ सं॰ 6-31/82-एस॰जी॰]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 14th March, 1983

G.S.R. 262(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby sanctions the issue of sixty two thousand seven hundred and fifty shares of the Central Warehousing Corporation of the face value of one thousand rupees each, amounting to 6.275 crores of rupees, as its eleventh issue, out of the total authorised share capital of one hundred crores of rupees divided into ten hundred thousand shares of the face value of one thousand rupees each.

[F. 6-31/82-SG]

सा॰ का॰ नि॰ 263(अ).—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, 30 सितम्बर, 1983 तक की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस अवधि तक तीन करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार रुपये के प्रत्येक एक हजार रुपये के अंकित मूल्य के केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के बासठ हजार सात सौ पचास शेयरों के ग्यारहवें निर्गम की शेयर पूंजी के साठ प्रतिशत का अभिदाय नीचे की सारणी में स्तम्भ (1) में वर्णित संस्थाओं द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित अनुपात में किया जा सकेगा :—

सारणी

संस्था का नाम	शेयर पूंजी का वह अनुपात जिसका अभिदाय किया जा सकेगा
1	2
(क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक।	2 करोड़ रुपये तक।
(ख) अन्य अनुसूचित बैंक	एक करोड़ पचास लाख रुपये तक।
(ग) बीमा कम्पनियां विनिधान न्यास और अन्य वित्तीय संस्थाएं	छब्बीस लाख रुपये तक।
(घ) सहकारी समितियां	पचास हजार रुपये तक।

[फा॰ सं॰ 6-31/82-एस॰जी॰]

G.S.R. 263(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby specifies the period upto the 30th September, 1983 as the period by which the sixty per cent of the share capital of the eleventh issue of sixtytwo thousand seven hundred and fifty shares of the Central Warehousing Corporation of the face value of one thousand rupees each, amounting to rupees three hundred seventysix lakhs and fifty thousand, may be subscribed by the institutions mentioned in column (1) of the Table below in the proportion mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Name of the Institution	Proportion of share capital which may be subscribed
(1)	(2)
(a) State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955).	Upto rupees two hundred lakhs.
(b) Other Scheduled Banks	Upto rupees one hundred and fifty lakhs.
(c) Insurance Companies, Investment Trusts and other financial institutions	Upto rupees twenty-six lakhs.
(d) Cooperative Societies	Upto rupees fifty thousand.

[F 6-31/82-Sg]

सा० का० नि० 264(अ)—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के ग्यारहवें निर्गम के बासठ हजार सात सौ पचास शेयरों पर अपने द्वारा गारंटीकृत वार्षिक लाभांश की न्यूनतम दर प्रतिवर्ष साढ़े पांच प्रतिशत नियत करती है।

[फा० 6-31/82-एस०जी०]

एच० डी० बंसल, संयुक्त सचिव

G.S.R. 264(E).—In pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby fixes the minimum rate of annual dividend, guaranteed by it on the sixtytwo thousand seven hundred and fifty shares of the eleventh issue of the Central Warehousing Corporation, at five and half per cent per annum.

[F. 6-31/82-Sg]

H.D. BANSAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983